

अक्टूबर 2011
October, 2011

एसोशिएटशिप परीक्षा
मरीन बीमा
ASSOCIATESHIP EXAMINATION
MARINE INSURANCE

AG-67

Reg. No.

--	--	--	--	--	--	--	--

समय : 3 घंटे]
Time : 3 Hours]

[कुल अंक : 100
[Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए । दसवा प्रश्न के 16 अंक है किन्तु यह अनिवार्य नहीं है ।
अन्य सभी प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के है ।

Answer **EIGHT** questions only. Question number **TEN** carries 16 marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each.

प्र.1 निम्नलिखित में से **किन्ही तीन** के उत्तर दें ।

Marks
(प्रत्येक के 4 अंक)

- वर्णन करें कि किस प्रकार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मरीन बीमा को लागू होता है।
- मरीन बीमा क्लॉजों के मानकीकरण में इंटरनेशनल अंडराइटिंग एसोसिएशन ऑफ लंडन (आय.यू.ए.) के योगदान को रेखांकित करें।
- “कारगो बीमा की अवधि का निर्धारण इंकोटर्मस् करते है” चर्चा करें।
- सुविधा ध्वज वाले पोतों द्वारा ढोए जाने वाले कारगो के बीमा-लेखन में बीमाकर्ता क्यों सावधानी बरतते है?

Q.1 Answer **any three** of the following

4 marks each

- Describe the principle of indemnity as it is applied to marine insurance.
- Highlight the contribution of International Underwriting Association of London (IUA) in standardisation of marine insurance clauses.
- "INCOTERMS determine the duration of cargo insurance" - Discuss
- Why are insurers cautious in underwriting cargo carried by Flag of Convenience vessels?

प्र.2 निम्नलिखित में से **किन्ही तीन** के बारे में संक्षेप में लिखें।

(प्रत्येक के 4 अंक)

- समनुदेशन
- इन्टरनेशनल यूनियन ऑफ मरीन इंश्योरेंस (आइ.यू.एम.आइ.) की भूमिका का परिक्षण करें।
- विक्री की सी.आइ.एफ. शर्ते
- कंटेनरीकरण तथा मरीन बीमा दावों पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

Q.2 Write in breif about **any three** of the following :

4 marks each

- Assignment
- Examine the role of the International Union of Marine Insurance (IUMI)
- CIF terms of sale
- Critically examine containerisation and its effect on marine cargo claims.

- प्र.3 **किन्ही तीन** की व्याख्या करें । (प्रत्येक के 4 अंक)
- अ) आई.टी.सी. हल्स 1.10.83 की टक्कर देयता धारा के तहत अपवर्जन
 - ब) इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग
 - स) सू एंड लेबर प्रभार
 - द) चोरी, उठाईगीरी तथा गैर - सुपुर्दगी के विरुद्ध सावधानियां

- Q.3. Explain **any three** 4 marks each
- a) Exclusions under Collision Liability Clause of I.T.C. Hulls 1.10.83
 - b) Indian Register of Shipping
 - c) Sue and Labour Charges
 - d) Precautions against Theft, Pilferage and Non Delivery

- प्र.4 **किन्ही दो** के बीच अंतर स्पष्ट करें। (प्रत्येक के 6 अंक)
- अ) स्वैच्छिक तथा संधि पुनर्बीमा
 - ब) मूल्यांकित तथा अमूल्यांकित पॉलिसियां
 - क) वास्तविक तथा प्रलक्षित समग्र हानि

- Q.4. Distinguish between **any two** 6 marks each
- a) Facultative and Treaty Reinsurance
 - b) Valued and Unvalued Policies
 - c) Actual and Constructive Total Loss

- प्र.5 **किन्ही दो** की व्याख्या करें (प्रत्येक के 6 अंक)
- अ) वहन संविदा की समाप्ति धारा
 - ब) इन्स्टिट्यूट वॉर क्लॉजेज (कारगो) - आवरण तथा अपवर्जन
 - क) इन्स्टिट्यूट स्ट्राइक्स क्लॉजेज (कारगो) - आवरण तथा अपवर्जन

- Q.5. Explain **any two** : 6 each
- a) Termination of contract of carriage clause
 - b) Institute War Clauses (Cargo) - Cover and Exclusion
 - c) Institute Strikes Clauses (Cargo) - Cover and Exclusion

- प्र.6 निम्नलिखित में से **किन्ही दो** की व्याख्या करें । (प्रत्येक के 6 अंक)
- अ) अन्तर्देशीय पारगमन (रेल /सडक) क्लॉज 'बी' के तहत आवरित जोखिम
 - ब) हवाई वाहकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की समय सीमाएं
 - क) मरीन हानियों के मामले में साल्वेज निपटान

- Q.6. Explain **any two** of the following 6 each
- Perils covered under Inland Transit (Rail / Road) Clause 'B'
 - Time limits for legal action against air carriers
 - Salvage disposal in case of marine losses

- प्र.7 इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉजेज हल्स 1.10.83 के संदर्भ में निम्नलिखित का आलोचनात्मक परिक्षण करें। 12
- आवरित जोखिम तथा
 - संवितरण वारंटी

- Q.7. Critically examine in the context of Institute Time Clauses Hulls 1.10.83 : 12
- Perils covered and
 - Disbursement Warranty

- प्र.8 पोतकाय जोखिमों के बीमा लेखन के लिए किन तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाता है? इन पहलुओं की समुचितता पर अपने विचार प्रकट करें। 12

- Q.8. Which technical aspects are considered for underwriting marine hull risks ? 12
Give your opinion about adequacy of these aspects.

- प्र.9 समुद्र तथा रेल द्वारा पहुँचने वाले माल के संदर्भ में बीमित द्वारा अपनायी जाने वाली सामान्य दावा प्रक्रियाओं का वर्णन करें। 12

- Q.9. Describe the general claim procedures followed by the assured in respect of goods arrived by Sea and by Rail. 12

- प्र. 10 समझाएं : (प्रत्येक के 8 अंक)
- पोत स्वामी की जिम्मेवारियां तथा देयताएं ।
 - पोतस्वामी के अधिकार तथा उन्मुक्तियां ।

- Q.10. Explain : 8 marks each
- Shipowners responsibilities and liabilities
 - Shipowners rights and immunities

-----समाप्त-----

----END----